मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 09.02.2017 को आयोजित जिला आपूर्ति विभाग के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(1) घरेलू गैस की आपूर्तिः-

बैठक में जिलाधिकारी, द्वारा बताया गया कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं से ऐसी सूचनाये प्राप्त होती है उन्हे स्थानीय गैस एजेन्सी द्वारा निर्धारित दर पर घरेलू गैस की आपूर्ति नही की जाती है और न ही घर तक (होम डिलेवरी) इसे पहुँचाया जाता है। घरेलू गैस की आपूर्ति हेतु एजेन्सी के गोदाम पर स्टॉफ द्वारा अधिक राशि की मांग की जाती है। प्रखंड सिंहेश्वर स्थित गैस एजेन्सी के विरूद्व इस तरह की सूचनाये उन्हें SMS के माध्यम से भेजा गया है।

इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहेश्वर को निदेशित किया गया कि वे प्रखंड सिंहेश्वर स्थित गैस एजेन्सी यथा- मेसर्स शिवशक्ति गैस एजेन्सी एवं एच0पी0 गैस एजेन्सी एवं इनके गोदाम पर जाकर स्थलीय जॉच करे एवं उपभोक्ताओं को ब्यान लेकर तीन दिनों के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

इसके अतिरिक्त बैठक में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत गैस एजेन्सी के व्यापार स्थल पर निम्न विवरणी के अनुरूप यथा-1. सिंगल /डबल LPG गैस कनेक्शन का मूल्य चूल्हा रहित 2. रेग्यूलेटर का मूल्य 3. 14 kg LPG गैस का मूल्य संबंधी चार्ट टंगवाना सुनिश्चित करेगें, ताकि उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी स्पष्ट रूप रहे और किसी प्रकार की परेशानी की समाना नही करना पड़ें।

(2) व्यवसायिक गैसः-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत माह के तुलना में मेसर्स योगेन्द्र गैस एजेन्सी मधेपुरा, मेसर्स यश कृश एच0पी0 गैस गम्हरिया एवं मंगल एच0पी0गैस उदाकिशुनगंज के द्वारा व्यवसायिक गैस की विक्री कम किया गया है। व्यवसायिक गैस की विक्री अधिक हो इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर को निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्राधीन हॉटल मालिक /रेस्टुरेन्ट के मालिक/नरसिंग होम चलाने वाले डॉक्टर से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे व्यवसायिक गैस लेने हेतु उत्प्रेरित करें, ताकि व्यवसायिक गैस की विक्री में वृद्धि हो।

साथ ही बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यवसायिक सिलेंडर की बिक्री बढ़ाने हेतु अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित होटलों एवं चाय-नास्ता की दुकानों में औचक एवं गहन छापामारी करें। अवैध रूप से रिफिलिंग करने वाले दुकानों पर भी गहन छापामारी करना सुनशिचित करें कि उनके द्वारा उनके होटल/ चाय-नास्ता की दुकानों में एल0पी0जी0

सिलेंण्डर (घरेलू गैस) का उपयोग करते पकड़ा जाय तो उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन जप्त कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिश्नुगंज को निदेश दिया कि बाजार क्षेत्र/देहाती क्षेत्र में खान–पान/दुकानों /एल0पी0 जी0 सिलेंडर के माध्यम से अवैध रिफलिंग करने वाले की औचक छापामारी किया जाय एवं पकड़े जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

(3) उज्जवला योजनाः–

समीक्षा के क्रम में पाया कि इस जिला के अन्तर्गत 10545 लाभूको कनेक्शन देने हेतु आवेदन लंबित है। उज्जवाला योजना के अधीन दिये गये उक्त गैस कनेक्शन को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत SECC डाटा के आधार पर इस जिला क्षेत्रान्तर्गत कुल पी0एच0एच0 पात्र गृहस्थियों की संख्या–377725 है, इन लाभूको को उक्त योजना के तहत नया कनेक्शन देने हेतु अविलंब अपने–अपने एजेन्सी के व्यापार परिसर में कैम्प लगागर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभूको से "पहले आओ और पहले पाओं के सिद्वान्त के आधार" पर फॉर्म प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा,ताकि मधेपुरा जिला के लाभूकों को उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सकें।

इस हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को निदेश दिया गया कि वे कैम्प का आयोजित करावे तथा सभी प्रखंड में इसका प्रचार–प्रसार करावे, ताकि अधिक से अधिक लाभूको को इसका लाभ मिल सकें।

(4) खाद्यान्न

पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय योजनान्तर्गत खाद्यान्न उठाव की समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा बताया गयाा कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव धीमी है। अभी भी प्रखंड मुरलीगंज प्रखंड में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का माह दिसम्बर,2016 के खाद्यान्न का उठाव शतप्रतिशत नही हो पाया है। खाद्यान्न उठाव को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सभी सहायक गोदाम प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा जिला से पृच्छा की गई है। सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि गोदाम पर डोर स्टेप परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा एकरारनामा में निर्धारित ट्रेक्टरों की संचया से कम ट्रेक्टर दिया जाता है, जिस कारण खाद्यान्न का उठाव विलंब से होता है।

इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि डोर स्टेप परिवहन अभिकर्त्ता, मुरलीगंज द्वारा एकरारनामा के अनुरूप राज्य खाद्य निगम के गोदाम पर एकरारनामा के अनुरूप ट्रेक्टर नही दिये जाने के निमित्त, उनके विपत्र से पेनाल्टी के रूप 50000.00(पचास हजार) रूपये की कटौती करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला प्रबंधक को यह भी निदेश दिया गया कि एकरारनाम के अनुरूप प्रखंडवार परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा कितनी संख्या में में गाड़ी देना है, से संबंधित सूची जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।

बैठक के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को यह निदेश दिया गया कि गोदाम से उठाव किये गये खाद्यान्न की सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को देगें। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खाद्यान्न उठाव के तुरंत बाद जन वितरण प्रणाली दुकानदार के व्यापार स्थल पर पहुँच कर स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर खाद्यान्न वितरण प्रारंभ करायेगें।भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन SupplyWatch (Whatsapp) पर अपलोड करेंगें।

(5.) पी0डी0एस0निरीक्षणः-

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता का किये गये निरीक्षण को जिलाधिकरी द्वारा की गई समीक्षोपरांत सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड के कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं मे से प्रत्येक सप्ताह कम से 10 दूकानों का निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण का फोटो SupplyWatch (Whatspp) पर भी अपलोड करें।

(6.) राशन कार्ड सत्यापन संबंधी डाटा इन्ट्रीः-

समीक्षा के क्रम में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया राशन कार्ड सत्यापन संबंधी बुकलेट का डाटा इन्ट्री कार्य अत्यन्त ही धीमा है। जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि संबंधित वेंडर के कार्यशैली की समीक्षा कर ले तथा प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में विभाग को सूचित करना सुनिश्चित करेगें।

(7.) पी0डी0एस0 दुकानों का युक्तिकरणः-

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से पी0डी0एस0 युक्तिकरण संबंधी प्रस्ताव विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त प्रस्ताव की समीक्षा कर प्रस्ताव को प्रेस रीलिज जारी करावें तथा अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पी0डी0एस0 दुकानों के युक्तिकरण को दिनांक 01.04.2017 से लागू करने की संबंध में पूरी इसकी तैयारी कर लें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/=

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक......83........../आ0, मधेपुरा, दिनांक 13.02.17

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक,खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना बिज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

11/2/17